अध्याय 6

न्यायपालिका

- न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिये यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सकें। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है।
- विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुचें न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।
- न्यायधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।
- न्यायधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। वे सेवा निवृत्त होने तक पद पर बने रहते है। विशेष स्थितियों में न्यायधीशों को हटाया जा सकता है।
- न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।

न्यायधीश की नियुक्तिः—

- मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्यन्यायधीष— ये सभी न्यायिक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते है।
- मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परम्परा भी है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबसे वरिष्ठ न्यायधीश को मुख्यन्यायधीष चुना जाता है किन्तु भारत में इस परम्परा को दो बार तोड़ा भी गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय के अन्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायधीश की सलाह से करता है। ताकि न्यायलय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे।

न्यायपालिका की पिरामिड रूपी सरंचनाः—

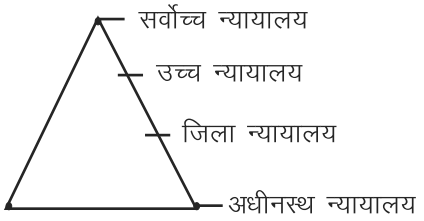

https://www.evidyarthi.in

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–आरम्भिक क्षेत्राधिकार

– **मौलिक अधिकारः** केन्द्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा।

– **रिटः** मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद।

अपीलीय

– दीवानी फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायलयों के मुकदमों पर अपील सुनना।

सलाहकारी

– जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

विशेषाधिकार

– किसी भारतीय अदालत के दिये गये फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई।

– भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जन हित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है।

– 1979–80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायधीश ने उन मामलें मे रूचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएँ नहीं ले सकेंते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायलय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से–याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी।

– न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतंत्रिक बनाया ओर कार्यपलिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई।

– चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त ओर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया।

– चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों की अपनी संपति आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र दने का निर्देश दिया, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

सक्रिय न्यायपालिका का नकरात्मक पहलूः–

– न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा

https://www.evidyarthi.in

– न्याायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया जैसे–वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखारेख में प्रशासन की करना चाहिए।

– सरकार का प्रत्येक अंग एक–दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।

न्यायिक पुनराक्लोकन का अधिकार

– न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायलय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरित हो तो उसे गैर–संवैधानिक घोषित कर सकता है।

– संघीय संबंधी (केंद्र–राज्य संबंध) के मामलें में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

– न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती हैं। प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है।

– नागरिकों के अधिकारी की रक्षा करती है।

– जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारी की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

न्यायपालिका और संसद–

– भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है।

– संपत्ति का अधिकार।

– ससद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में।

– इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

– निवारक नजरबंदी कानून।

– नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून।

https://www.evidyarthi.in

1973 में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय

- संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचें से छेड़–छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढाँचें को नहीं बदला जा सकता।
- संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायलय ने कहा कि यह मूल ढाँचें का हिस्सा नहीं है उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- न्यायलय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है।
- संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते है। संविधान यह व्यवस्था करना है कि न्यायधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती लेकिन कर्र अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है।
- लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है।

https://www.evidyarthi.in

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः–

1. वाक्य को शुद्ध करके लिखो।

   उच्च न्यायलय के फैसले भारतीय भू–भाग के अन्य सभी न्यायलयों पर बाध्यकारी हैं।
2. भारत में कुल कितने उच्च न्यायलय है?
3. भारत के मुख्य न्यायधीश का वेतन कितना है?
4. भारतीय न्यायपालिका कब से संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने कार्य कर रही है?
5. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है।
6. कौन से न्यायलय द्वारा जारी निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है?
7. जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है?
8. भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है?
9. भारत के मुख्य–न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर परम्परा को कब तोड़ा गया?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरम्भ की गई?
2. जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया?
3. जनहित याचिका से किसको लाभ पहुंचता है?
4. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है?
5. सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले बदलने की इजाजत क्यों दी जाती है?
6. न्यायपलिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है।
7. अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका है तथा कैसे?
8. कौन–सी दो शक्तियां सर्वोच्चन्यायलय को शक्तिशाली बना देती है?
9. कानून के शासन का क्या अर्थ है?
10. न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अन्तर है?

https://www.evidyarthi.in

चार अंकीय प्रश्नः–

1. सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जारी रीट का वर्णन करो।
2. परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार से सरकार को क्या लाभ है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो।
4. सामूहिकता के सिद्धान्त का क्या अर्थ है?
5. अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. यह बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओ से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत को ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरियां अपनाने की जरूरत है यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते है, तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। (न्यायमूर्ति भगवती–बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984)

   (1) ऊपर लिखित कथन किस के द्वारा कहा गया?

   (2) मुकद्दमें का नाम क्या था?

   (3) न्यायमूर्ति किस के हित के बारे मे लिख रहे है।

   (4) सभी मौलिक अधिकारी का प्रयोग किस प्रकार कर सकते है।

2.

   (1) उपरोक्त चित्र में न्यापालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही हैं। 1

https://www.evidyarthi.in

(2) न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ। 2

(3) हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? 2

3. आप एक न्यायाधीश है

नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगरपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दें, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वाले को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाला का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके 'जीवन के अधिकार' का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ–सुथरे शहर के अधिकार से ज्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायधीश है। आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस 'जनहित याचिका' में जनहित का मुद्दा है या नहीं?

(1) न्यायालय जाने वाले दो पक्ष कौन–कौन है?

(2) दोनों पक्षों ने जनहित के आधार पर अपना कौन–कौन सा पक्ष रखा?

(3) अगर आप न्यायधीश होते तो क्या निर्णय लेते तथा ये विषय जनहित याचिका का विषय है या नहीं?

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय न्यायपालिका की सरंचना पिरामिड के आकार की है वर्णन करो।?
2. सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करो?
3. जनहित यचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकती है?
4. जनहित यचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकरात्मक पहलू क्या माना जाता है?
5. न्यापालिका की नियन्त्रता के लिए प्रमुख उपायों की चर्चा करो?

https://www.evidyarthi.in

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सर्वोच्च न्यायालय के फैसलें भारतीय + भू–भाग के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
2. 24
3. 2.8 लाख प्रतिमाह
4. 1950
5. 31 (30+1)
6. सैनिक न्यायालय
7. द0 अफ्रीका
8. 65 वर्ष की आयु तक
9. 1973 और 1977 में

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. 1970 ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती तथा बी. के. कृष्णअय्यर द्वारा।
2. अखबारों के समाचार तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका माना जाने लगा।
3. गरीबों, असहाय, असक्षम निरक्षर लोगों की शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए।
4. न्यायपालिका द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना।
5. न्यायपालिका से भी चूंक हो सकती है। व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त हो।
6. न्यायपालिका रिट जारी करके बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करती है ताकि सभी को जीने का अधिकार तथा सूचना का अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित किया जा सकता है।
7. उच्च न्यायलय रिट जारी कर सकती है।
   किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है उसे लागू होने से रोक सकती है।
8. (1) रिट जारी करने की शक्ति (2) न्यायिक पुनरावालोकन शक्ति
9. गरीब अमीर, स्त्री और पुरूष, अगडे और पिछड़े सभी वर्गों के लोगों पर एक समान कानून लागू हो।
10. – न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है।
    – मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायलय जो आदेश जारी करती है रिट कहलाती है।

https://www.evidyarthi.in

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकार पृच्छा उत्प्रेष्ठा वर्णन।

2. (i) सरकार को छूट मिल जाती हैं
   (ii) अदालती राय जानकर कानूनी विवाद से बचा जा सकता है
   (iii) विधेयक में संशोधन कर सकती है
   (iv) समस्या का समाधान विद्वान व्यक्तियों के द्वारा।

3. (i) महाभियोग द्वारा
   (ii) अयोग्यता का आरोप लगने पर
   (iii) विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित
   (iv) दोनो सदनों में बहुमत के बाद

4. (i) सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा।
   (ii) न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से
   (iii) नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धान्त कहते हैं।

5. (i) उच्च न्यायालयो के निर्णय के विरूद्ध
   (ii) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कि कानूनी व्याख्या से सम्बन्धित
   (iii) किसी अपराधी के अपराध मुक्ति के निर्णय को बदल कर पुनः फांसी की सजा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से मंगवा कर पुनः निरीक्षण कर सकता है।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (i) न्यायमूर्ति भगवती के द्वारा
   (ii) बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984
   (iii) गरीबों के।
   (iv) गरीबों के प्रति इंसाफ का नजरिया बनाकर उचित व उचित समय पर निर्णय करना।

2. (i) डाक हडताल
   (ii) जनता को सुविधा

https://www.evidyarthi.in

(iii) सार्वजनिक हित से सम्बन्धित विभागों को हडताल नहीं करनी चाहिए।

(iv) लोगों की असुविध

(v) दैनिक आवश्यकताओं पर प्रभाव

3. (1) (i) शहर को सुन्दर बनाने हेतु

(ii) झुग्गियों को तोड़ने से रोकने वाले

(2) शहर का सुन्दर बनाकर पूंजी निवेश पर बल, दूसरा पक्ष जीवन के अधिकार की मांग

(3) जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देता, सफाइ का निर्देश दिया जाता ।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. सर्वोच्च
उच्च
जिला न्यायालय
अधिनस्थ

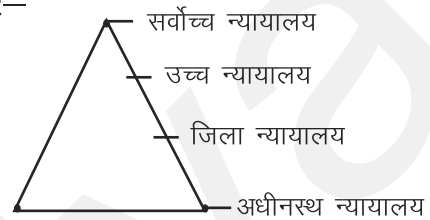

2. प्रारम्भिक (मौलिक, अपीलीय, परामर्शदाता, रिट जारी करना, वर्णन)

3. किसी व्यक्ति, संस्था की शिकायत, अखबार में समाचार, डाक द्वारा शिकायत के आधार पर।

4. (i) न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ना।

(ii) विधानपालिका के कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा किया जाता।

(iii) न्यायापलिका के पास समय का अभाव

(iv) न्यायाधीशों की कमी।

5. (i) न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु निश्चित

(ii) अच्छा वेतन

(iii) न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को चुनौती नहीं

(iv) दिए गए निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को जीवन सुरक्षा प्रदान करना।

(v) राजसत्ता द्वारा न्यायाधीशों के कार्यों में बाधा न पहुंचाना

(vi) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधानपालिका की दखल अंदाजी नहीं।

https://www.evidyarthi.in